इस्म नाम... नंबर व तारीख

...यालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि. सं.– 32/2019
दायर तिथि– 27.06.2019
तारीख निर्णय – 30.09.2019

प्रार्थी :–
श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र मोतीसिंह
जाति – राजपूत
निवासी – इन्द्रोंका तह. जोधपुर जिला – जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सरहद मौजा साण्डेराव । पटवार क्षेत्र साण्डेराव तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 300, 302, 340, 301 कुल रकबा 138 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429 कुल रकबा 15.96 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार संयुक्त स्वामित्व की रही है। जो भूमि वर्तमान प्रार्थी व प्रार्थी के भाई राजेन्द्र कुमार सिंह व नरेन्द्र कुमार सिंह के नाम से दर्ज है जो भूमि प्रार्थी की अपने हिस्से अनुसार खरीद शुदा है। जिस खरीद अनुसार राजस्व रेकर्ड की खतौनी संवत 2024–2027, 2028–2031 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र मोतीसिंह सही दर्ज किया गया था, जिसका सत्यापित राजस्व रिकर्ड मिलान क्षेत्रफल, खतौनी संवत 2024–2027, 2028–2031 की नक्लें प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

(2) कि दौरान ए सैटलमेन्ट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नं. 300, 302, 340, 301 कुल रकबा 138 बीघा 10 बिस्वा के बनाये गये नये खसरा नम्बर 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429 कुल रकबा 15.96 हैक्टर भूमि की मिसल बन्दोवस्त संवत 2037–2056 एवं उससे बनाई गयी खतौनी संवत 2044–2047 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र मोतीसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोतीसिंह गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम गत राजस्व रेकर्ड व अपने पहचान पत्र आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स के दस्तावेजों के अनुसार सुरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र मोतीसिंह ही है। जिसका सत्यापित राजस्व रिकर्ड मिसल बन्दोवस्त, खतौनी संवत 2044–2047 की नक्लें प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिससे उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह के स्थान सुरेन्द्र कुमार सिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान))

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड दस्तावेज एवं प्रार्थी का आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेन्स एवं भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत जबाव इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये जाने पर **स्पष्ट जाहिर होता है कि दौरान ए सैटलमेन्ट गत खसरा नं. 300, 302, 340, 301 कुल रकबा 138 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429 कुल रकबा 15.96 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार संयुक्त स्वामित्व की रही है। एवं उसकी बनी खतौनी संवत 2044–2047 में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह के स्थान सुरेन्द्र कुमार सिंह दर्ज किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त भूमि में प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार सिंह दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का साण्डेराव एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।**

निर्णय आज दिनांक **30.09.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner